

वशेष और स्थानीय कानूनों में सुधार

प्रलमिस के लयि:

भारत के आपराधकि कानूनों में सुधार की आवश्यकता, [भारतीय दंड संहति \(IPC\)](#), दंड प्रकरया संहति (CrPC), भारतीय साक्ष्य अधनियम, [आपराधकि न्याय प्रणाली](#), [संज्जेय अपराध](#)

मेन्स के लयि:

भारत के आपराधकि कानूनों में सुधार की आवश्यकता, सरकारी नीतयों तथा वभिन्न क्षेत्रों में वकिस के लयि हस्तक्षेप एवं उनके डज़ाइन और कारयान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे

[स्रोत: द हट्टि](#)

चर्चा में क्यो?

हाल ही में [भारतीय दंड संहति \(IPC\)](#), [दंड प्रकरया संहति \(CrPC\)](#) तथा [भारतीय साक्ष्य अधनियम \(IEA\)](#) में नहिति वास्तवकि आपराधकि कानून में सुधार के लयि कई वधियक पेश कयि गए हैं, कति [वशेष और स्थानीय कानूनों \(SLLs\)](#) पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दयि गया है।

वशेष और स्थानीय कानून (SLL):

परचय:

- SLL वशेष रूप से कसिी वशेष राज्य अथवा स्थानीय क्षेत्र के भीतर क्षेत्र-वशेष, सांस्कृतकि अथवा कानूनी मामलों के समाधान के लयि बनाए गए हैं।
- वे भारतीय दंड संहति (IPC) में उल्लखिति सामान्य कानूनों तथा वनियमों से भन्न हैं।
- यह उन [आपराधकि गतविधियों](#) को सूचीबद्ध करता है जनिहें राज्य सरकार वशेष मुद्दों के संबंध में तैयार करती है।

महत्त्व:

- SLL भारत की [आपराधकि न्याय प्रणाली का एक अभन्न हसिसा](#) है, इनमें सबसे मुख्य अपराधों तथा कारयवाहियों को शामिल कयि जाता है। वे [भारतीय आपराधकि न्याय प्रणाली](#) में सार्थक भूमकि नभिते हैं।
- वर्ष 2021 में पंजीकृत सभी [संज्जेय अपराधों में से लगभग 39.9% SLL के अंतरगत थे](#)।
 - [संज्जेय अपराधों](#) में एक अधकिारी न्यायालय के वारंट की मांग कयि बनिा कसिी [संदगिध के मामले का संज्जान ले सकता है तथा उसे गरिफ्तार कर सकता है](#), यद उसके पास "वशिवास करने का कारण" है क उस वयक्ति ने अपराध कयि है और संतुष्ट है क कुछ नशिचति आधारों पर गरिफ्तारी आवश्यक है।
 - गरिफ्तारी के 24 घंटे के अंदर अधकिारी को न्यायकि मजसिट्रेट द्वारा हरिसत की पुष्टि करनी होगी।

भारत में वशेष और स्थानीय कानूनों में सुधार की आवश्यकता:

अस्पष्ट परभाषाएँ:

- कुछ SLL, जैसे क ['गैर-कानूनी गतविधियों \(रोकथाम\) अधनियम, 1967](#), अपराधों की अपर्याप्त और अस्पष्ट परभाषाओं तथा ['आतंकवादी कृत्य](#), ['गैर-कानूनी गतविधि'](#) एवं ['संगठति अपराध'](#) जैसे शबदों से ग्रस्त हैं।
- ये अस्पष्टताएँ कानून की उचति प्रकरया को प्रभावति करते हुए [दुरुपयोग और गलत व्याख्या](#) का कारण बन सकती हैं।

कानूनी प्रकरया में परविरतनशीलता:

- SLL के परणामस्वरूप वयक्तयों या समूहों के लयि उनकी भौगोलकि स्थतिकि आधार पर अलग-अलग व्यवहार हो सकता है, जसिसे न्याय और कानूनी सुरक्षा तक पहुँच में असमानताएँ उत्पन्न हो सकती हैं।
- कानूनी स्थरिता की कमी वयक्तयों और व्यवसायों के लयि अनशिचतिता उत्पन्न कर सकती है, जसिसे कानूनी अधकिारों तथा दायतियों को वहन करना कठनि हो जाता है।

- चतिनशीलता की कमी:
 - चतिनशील वचिारों की अनुपस्थिति अक्षमताओं और अनश्चितताओं को जन्म दे सकती है।
 - उदाहरण के लिये [यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012](#) की नाबालगों के बीच सहमति से यौन गतविधियों पर लागू होने के कारण आलोचना की गई है, जिससे इस तरह के आचरण को अपराध घोषित करने के बारे में चिंताएँ बढ़ गई हैं।
 - सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने पी. मोहनराज बनाम मेसर्स शाह बरदर्स इसपात लमिटेड, 2021 के मामले में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (NI Act), 1881 की धारा 138 को 'आपराधिक भेड्यि' के भेष में 'सविलि भेड' के रूप में संदर्भित किया।
 - NI अधिनियम की धारा 138, धन की कमी के कारण चेक बाउंस होने के संबंध में आपराधिक प्रावधान प्रदान करती है।
- नयित प्रक्रिया को कमज़ोर करना:
 - SLL ने उचित प्रक्रिया मूल्यों में गड़बड़ी की है, जिसका उदाहरण तलाशी और ज़बती के दौरान बढ़ी हुई शक्तियाँ तथा पुलिस अधिकारियों द्वारा दरज किये गए बयानों की स्वीकार्यता है।
 - यह अभियुक्तों के अधिकारों की पर्याप्त सुरक्षा नहीं करता है तथा नष्पिक्षता एवं व्यक्तगित स्वतंत्रता की सुरक्षा के बारे में चिंताएँ उत्पन्न करता है।
 - मज़बूत सुरक्षा उपायों की कमी कानूनी प्रक्रिया के संभावित दुरुपयोग का द्वार खोल सकती है, जिससे अभियुक्तों के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं।
 - SLL में प्रतबिंधात्मक ज़मानती प्रावधान आरोपी के अधिकारों का उल्लंघन करते हुए जमानत प्राप्त करना लगभग असंभव बना देते हैं।
 - उदाहरण के लिये: UAPA की धारा 43(D)(5) के तहत ज़मानत प्रावधान असाधारण रूप से कड़े हैं, जिससे UAPA के तहत आरोपियों के लिये ज़मानत प्राप्त करना लगभग असंभव हो जाता है।

नष्पिक्ष:

- SLL जनि व्यवहारों को अवैध बनाते हैं उन्हें दंड संहिता में अलग अध्याय के रूप में एकीकृत किया जाना चाहिये। रिपोर्टिंग, गरिफ्तारी, जाँच, अभियोजन, परीक्षण, साक्ष्य और ज़मानत के लिये अलग-अलग प्रक्रियाओं वाले SLL को आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) में शामिल किया जाना चाहिये या अपवाद के रूप में माना जाना चाहिये।
- वर्तमान सुधार प्रक्रिया का एक प्रमुख प्रतबिंध SLL घटकों का बहष्पिकार है, जो इन कमियों को दूर करने के लिये सुधारों के दूसरे चरण की मांग करता है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

[?/?/?/?/?]:

प्रश्न. भारत सरकार ने हाल ही में गैरकानूनी गतविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, (UAPA), 1967 और NIA अधिनियम में संशोधन करके आतंकवाद वरिधी कानूनों को सुदृढ़ किया है। मानवाधिकार संगठनों द्वारा UAPA के वरिध के दायरे और कारणों पर चर्चा करते हुए मौजूदा सुरक्षा माहौल के संदर्भ में परविरतनों का वश्लेषण कीजिये। (2019)